भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1043

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>कंपनी पंजीयक के पास पंजीकृत कंपनियां</u>

1043. श्री अनूप मिश्रा :
श्री आलोक संजर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार कंपनी पंजीयक (आरओसी) के पास पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बंद हो चुकी कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) सरकार द्वारा उन कंपनियों की पहचान करने के लिए, जिनका नाम सरकारी रिकार्ड में है, लेकिन कार्य नहीं कर रही हैं, उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में पुरानी/निष्क्रिय कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का आरओसी द्वारा पुरानी कंपनियों के नाम को सूची से हटाने के लिए कोई 'सुलभ बहिर्गमन योजना' शुरू करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ङ) क्या सरकार का पंजीकरण की प्रक्रिया को सख्त बनाने का विचार है, ताकि सिर्फ वास्तविक कंपनियां ही स्वयं को आरओसी के पास पंजीकृत करा सकें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सभी कंपनियेां को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): दिनांक 26.11.2015 तक कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) में पंजीकृत कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुलग्नक-। में दी गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान बंद हो चुकी कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-॥ में दी गई है।

(ख) से (घ): कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248, इसका संगत उपबंध है, जो अब तक अधिसूचित नहीं है) में यह प्रावधान है कि यदि कंपनी रजिस्ट्रार के पास यह मानने का कारण है कि जो कंपनियां अपना कारोबार नहीं कर रही है या संचालन में नहीं है उनका नाम उचित प्रक्रिया अपनाकर पंजीकरण सूची में हटाया जा सकता है। मंत्रालय समय-समय पर इजी एक्जिट

.....2/-

स्कीम चलाता है ताकि ऐसी कंपनियों को, जो व्यवसाय नहीं कर रही है या संचालन में नहीं है अपना नाम पंजीयक रजिस्टर से हटाने के लिए आवेदन कर सके। मंत्रालय ने बंद कंपनियों के लिए एक फास्ट ट्रैक एक्जिट स्कीम की शुरूआत भी की है ताकि वे अपना नाम हटाने के लिए समय-समय पर कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में संपर्क कर सके। चूंकि यह योजना अभी भी चालू है। अतः कोई पृथक/नया प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (04.11.2015 तक) के दौरान कंपनी रजिस्टर से हटाई गई कंपनियों की संख्या अनुलग्नक-III में दी गई है।

(ड.): सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया में पहले से ही काफी बदलाव किए हैं जैसे - (i) सभी निदेशकों द्वारा निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता, (ii) पंजीकृत कार्यालय के पते का समर्थक दस्तावेज प्राप्त करके सत्यापन करना और (iii) ऐसे कंपनी सचिव, चार्टर्ड लेखाकार, लागत लेखाकार या वकील का प्रमाणन जिनसे पंजीकृत कार्यालय का खुद दौरा करने और उसकी मौजूदगी का सत्यापन करना अपेक्षित हो, इस संबंध में विस्तृत नियम कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 (अध्याय XXI, भाग-I) में गैर-पंजीकृत निकायों के पंजीकरण का प्रावधान है, फिर भी, उक्त अधिनियम के तहत सभी गैर-पंजीकृत निकायों/कंपनियों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 04.12.2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1043 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 26.11.2015 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कंपनियो की संख्या
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	278
2.	आन्ध्र प्रदेश	22566
3.	अरुणाचल प्रदेश	507
4.	असम	9568
5.	बिहार	21129
6.	चंडीगढ़	13091
7.	छत्तीसगढ़	7780
8.	दमन एवं दीव	309
9.	दिल्ली	282539
10.	दादर एवं नगर हवेली	455
11.	गोवा	7495
12.	गुजरात	83804
13.	हिमाचल प्रदेश	4916
14.	हरियाणा	28522
15.	झारखंड	9476
16.	जम्मू और कश्मीर	4246
17.	कर्नाटक	83454
18.	केरल	39500
19.	लक्ष्यद्वीप	12
20.	महाराष्ट्र	307838
21.	मेघालय	1001
22.	मणिपुर	462
23.	मध्य प्रदेश	30828
24.	मिजोरम	104
25.	नागालैंड	503
26.	उड़ीसा	19213
27.	पंजाब	26823
28.	पुदुचेरी	2977
29.	राजस्थान	47318
30.	सिक्किम	0
31.	तेलंगाना	80702
32.	तमिलनाडु	118962
33.	त्रिपुरा	350
34.	उत्तर प्रदेश	70125

35.	उत्तराखंड	5013
36.	पश्चिम बंगाल	187970
योग		**1519836**

अनुलग्नक- II

दिनांक 04.12.2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1043 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

बंद कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 (26.11.2015 तक)
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	36	287	481	181
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	11	0	2
4.	असम	118	193	29	44
5.	बिहार	26	3	115	191
6.	चंडीगढ़	464	110	359	145
7.	छत्तीसगढ़	22	16	46	40
8.	दमन एवं दीव	0	3	1	2
9.	दिल्ली	2012	1726	3098	2900
10.	दादर एवं नगर हवेली	0	2	6	4
11.	गोवा	48	105	73	43
12.	गुजरात	342	619	739	867
13.	हिमाचल प्रदेश	144	25	36	107
14.	हरियाणा	144	146	244	306
15.	झारखंड	15	0	35	135
16.	जम्मू और कश्मीर	14	10	35	23
17.	कर्नाटक	63	920	1005	665
18.	केरल	259	332	329	382
19.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0
20.	महाराष्ट्र	2018	2188	2846	2118
21.	मेघालय	19	16	5	4
22.	मणिपुर	5	3	0	1
23.	मध्य प्रदेश	147	237	206	371
24.	मिजोरम	10	7	0	0
25.	नागालैंड	12	10	0	3
26.	उड़ीसा	1182	221	415	52
27.	पंजाब	1098	136	586	205
28.	पुदुचेरी	16	18	16	24
29.	राजस्थान	195	300	852	685
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तेलंगाना	0	0	6923	704
32.	तमिलनाडु	1367	1192	1031	1079

33.	त्रिपुरा	10	11	2	2
34.	उत्तर प्रदेश	200	173	553	996
35.	उत्तराखंड	3	0	90	38
36.	पश्चिम बंगाल	4562	1796	1869	1611

*****

<u>अनुलग्नक-III</u>

दिनांक 04.12.2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1043 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

कंपनी रजिस्टर से नाम हटाई गई कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष **2012-13**	वर्ष **2013-14**	वर्ष **2014-15**	वर्ष **2015-16 (04.11.2015 तक)**
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	13	251	268	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	11	0	1
4.	असम	71	190	25	31
5.	बिहार	25	3	133	157
6.	चंडीगढ़	364	107	337	120
7.	छत्तीसगढ़	4	20	28	0
8.	दमन एवं दीव	0	2	0	0
9.	दिल्ली	1307	1050	2020	1719
10.	दादर एवं नगर हवेली	0	1	4	4
11.	गोवा	22	86	50	0
12.	गुजरात	367	367	462	662
13.	हिमाचल प्रदेश	146	35	21	94
14.	हरियाणा	96	123	195	207
15.	झारखंड	11	0	100	57
16.	जम्मू और कश्मीर	5	19	25	0
17.	कर्नाटक	219	634	829	587
18.	केरल	253	319	321	361
19.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0
20.	महाराष्ट्र	1131	1356	1756	890
21.	मेघालय	14	15	4	3
22.	मणिपुर	4	3	0	0
23.	मध्य प्रदेश	0	245	194	286
24.	मिजोरम	1	7	0	0
25.	नागालैंड	8	10	0	3
26.	उड़ीसा	1248	226	431	46
27.	पंजाब	771	145	558	171
28.	पुदुचेरी	13	17	20	7
29.	राजस्थान	166	266	569	548
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तेलंगाना	111	554	90	0
32.	तमिलनाडु	695	932	1017	450
33.	त्रिपुरा	7	11	2	2

34.	उत्तर प्रदेश	154	433	693	412
35.	उत्तराखंड	0	0	84	33
36.	पश्चिम बंगाल	3880	1662	1147	725
योग		**11108**	**9102**	**11383**	**7577**

*****